>

Title: Need to amend the Food Security and Standard Act, 2006 to rescind the provision prohibiting farmers to sell their crop damaged due to adverse weather conditions.

श्री इज्यराज सिंह (कोटा): मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि फूड सेफ्टी एंड स्टैण्डर्ड एक्ट, 2006 में कुछ कमियाँ हैं जिसके कारण किसानों को बहुत नुकसान पहुँच रहा है । इस एक्ट के मुताबिक अगर किसानों की गेहूं, मक्का, सोयाबीन इत्यादि फसल खेती-बाड़ी के दौरान प्राकृतिक आपदा से या किसी अन्य कारण अच्छी नहीं होती है तो वह उसको इस एक्ट के तहत बाजार में बेच नहीं पाएगा क्योंकि इस प्रकार के खाद्यान्न का भंडारण या ट्रंसपोर्ट करने वाले को जेल हो सकती है । खराब फसल को ऐसी दशा में किसानों को जलाना ही पड़ेगा ।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त कानून में खेती के दौरान जैसी फसल पैदा होती है वैसी फसल को खरीदने के संबंध में रोक को इस एक्ट में से निकालना चाहिए जिससे किसानों को फसल को बेचने में कोई दिक्कत न हो सके ।